ऑन लाईन नं.RCMS2023/8

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2023

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विजय बंसल पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल — विक्रता एवं मालिक—
   मै0 न्यू विजय ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट नम्बर 16 बी, चक 7 ई छोटी, सूरतगढ बाईपास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी —2345 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर।
2. अशोक कुमार नाथाभाई सुखाडिया पुत्र श्री नाथाभाई भगवान जी भाई सुखाडिया, नोमिनी मैसर्सः—श्री राधे डेयरी फार्मस एण्ड फूडस प्रा.लि. 427—430, Sky View Nr.Swami naryan Tample, opp Sagwadi, Varachha Main Rood Surt Gujarat.
3. मैसर्स —श्री राधे डेयरी फार्मस एण्ड फूडस प्रा.लि. 427—430, Sky View Nr.Swami naryan Tample, opp Sagwadi, Varachha Main Rood Surt Gujarat.

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 13.02.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08. 2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक 308 दिनांक 04.09. 2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.06.2022 को दोपहर बाद 2.30 पीएम पर **मै0** न्यू विजय ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट नम्बर 16 बी, चक 7 ई छोटी, सूरतगढ बाईपास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा विजय बंसल पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी —2345 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस, एवं अन्य दस्तावेजों स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय का घी (वास्तु)** जो कि आपकी संस्थान में 30 कार्टुन (प्रत्येक में 1 लीटर वाले 12 नगर) एवं 13 कार्टन (प्रत्येक में 500 एमएल वाले 24 नग) **गाय का घी (वास्तु)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा था के अमानक का शक होने पर 500 एम.एल. वाले कार्टन में से 4 नग **गाय का घी (वास्तु)** खाद्यकारोबारकर्ता श्री विजय बंसल को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री विजय बंसल को 800/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विजय बंसल पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री विजय बंसल को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का घी (वास्तु)** 500 एम.एल. वाले कार्टन में से 4 नग के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1531** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1531** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता विजय बंसल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑनलाईन नं.RCMS2023/8

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/754/एक्ट/2022/754 दिनांक 29.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1531 गाय का घी (वास्तु) अमानक स्तर** Sub- Standard Food & Contravention Regulation होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय बंसल पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी –2345 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गाय का घी (वास्तु)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी हमारी कम्पनी मार्केट में प्रतिस्थित होने पर सरकार श्री के धारा धोरण के हिसाब से **ISO, FSSAI, AGMARK** एसे लाइसैंस के साथ साथ प्रोडक्टस बनाते है हम हमारे ग्राहक को ध्यान में रखते ही प्रोडक्ट्स बनाते है। तदुपरांत हम कोई भी प्रकार का अडल्टरसन ऐड करने का ईरादा रखते नहीं है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉटन ट्रेक एरिया में आता है उधर से हमारा मिल्क परोकउरमेंट होता है। पशुपालक के द्वारा पशुओं को जो खाध्य पदार्थ खिलाया जाता है उसमें से महद अंश दूध के जरिए, घी में भी आता है। रेफरल फूड लेबोरेटोरी द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तु गांय का घी **FSSAI** के स्टंडर्ड के हिसाब से सभी पेरामिटोर के मापदंण्ड में पूरा कर रहा है लेकिन फाईनल ओपीनिऑन में फ्री फेट्टी ऐसिड की उपस्थिति बताकर सब स्टण्डर्ड बताया गया है उक्त घी सभी पेरमिटोर पूर्ण करता है ओर फ्री फेट्टी ऐसिड प्रोफाईल की जांच 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला टेस्ट को अभी से सैम्पल को टेस्ट करके सबस्टण्डर्ड कर रहे है जो गलत है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का घी (वास्तु)** का सैम्पल **के–1531** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/754/एक्ट/2022/754 दिनांक 29.06.2022 द्वारा Sub- Standard Food & Contravention Regulation होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी हमारी कम्पनी मार्केट में प्रतिस्थित होने पर सरकार श्री के धारा धोरण के हिसाब से **ISO, FSSAI, AGMARK** एसे लाइसैंस के साथ साथ प्रोडक्टस बनाते है हम हमारे ग्राहक को ध्यान में रखते ही प्रोडक्ट्स बनाते है। तदुपरांत हम कोई भी प्रकार का अडल्टरसन

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऐड करने का ईरादा रखते नहीं है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉटन ट्रेक एरिया में आता है उधर से हमारा मिल्क परोकउरमेंट होता है। पशुपालक के द्वारा पशुओं को जो खाध्य पदार्थ खिलाया जाता है उसमें से महद अंश दूध के जरिए, घी में भी आता है। रेफरल फूड लेबोरेटोरी द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तु गांय का घी **FSSAI** के स्टंडर्ड के हिसाब से सभी पेरामिटोर के मापदंण्ड में पूरा कर रहा है लेकिन फाईनल ओपीनिऑन में फ्री फेट्टी ऐसिड की उपस्थिति बताकर सब स्टण्डर्ड बताया गया है उक्त घी सभी पेरमिटोर पूर्ण करता है ओर फ्री फेट्टी ऐसिड प्रोफाईल की जांच 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला टेस्ट को अभी से सैम्पल को टेस्ट करके सबस्टण्डर्ड कर रहे है जो गलत है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Ghee (Vastu Agmark)" bearing Code No and Sr. No. K-1531 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is** Sub- Standard Food **as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibtion and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of Foreign fat.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **गाय का घी (वास्तु)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **गाय का घी (वास्तु)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर